रजि0न0एल0डब्लू/एल0पी0890
लाइसेंस न0डब्लूपी0-41
लाइसेंस व पोस्ट एण्ड कन्सनल

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 8 सितम्बर, 2004

भाद्रपद 17, 1926 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबंधन अनुभाग-5

सं0 क0नि0-5-5077/11-2004-218(16)-97

लखनऊ 8 सितम्बर 2004

अधिसूचना

प0आ0-378

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या-16 सन् 1908) की धारा 5 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और जिला छत्रपति शाहूजी महराज नगर के सृजन तथा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन जिला छत्रपति शाहूजी महराज नगर में निबन्धक कार्यालय की स्थापना के संबंध में इस निमित्त जारी सरकारी अधिसूचना सं0 क0नि0-2850/11-2003-218(16)/97, दिनांक 29 जुलाई, 2003 का अधिक्रमण करके राज्यपाल उक्त जिला छत्रपति शाहूजी महराज नगर को समाप्त करते हैं और इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से अनुसूची एक और दो में

क्रमशः उल्लिखित क्षेत्रों को समाविष्ट करते हुए विद्यमान जिला रायबरेली और सुल्तानपुर की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं ।

क्र0स0	अनुसूची-1	अनुसूची-2
1	तिलोई	1-अमेठी
2	सालोन	2-गौरीगंज
		3-जगदीशपुर
	के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में समाविष्ट किये गये जिला रायबरेली के राजस्व ग्राम	के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में जिला सुल्तानपुर के राजस्व ग्राम

आज्ञा से,
रीता सिन्हा,
प्रमुख सचिव ।